

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

क्रमांक: प.8(क)(वि.सं.)()डीएलबी/20/001


दिनांक: 03-01-2022

आदेश

राज्य सरकार के निर्देशानुसार श्री देवेन्द्र सिंह पोसवाल, अधिवक्ता, (इन्वोल्वेन्ट नं. आर/1960/2002) को नगर पालिका उच्चैन जिला भरतपुर के विरुद्ध विभिन्न अधीनस्थ न्यायालयों में लम्बित न्यायिक प्रकरणों की पैरवी करने हेतु पैनल अधिवक्ता/विधि सलाहकार एतद्वारा नियुक्त किया जाता है।

इनको विभागीय आदेश क्रमांक 14702 दिनांक 18.09.2000 के तहत मासिक मानेदय एवं आदेश क्रमांक 3465 दिनांक 02.07.13 तथा परिपत्र क्रमांक 1747-1937 दिनांक 04.03.14 के अनुसार पारिश्रमिक भुगतान नगर पालिका उच्चैन जिला भरतपुर से देय होगा।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


(दीपक मुन्दी)


निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांक: प.8 (क)(वि.सं.)()डीएलबी/20/002-010

दिनांक: 03-01-2022

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
02. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर।
03. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर।
04. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, भरतपुर।
05. अध्यक्ष/अधिसाषी अधिकारी, नगर पालिका उच्चैन जिला भरतपुर।
06. श्री देवेन्द्र सिंह पोसवाल, अधिवक्ता, मार्फत नगर पालिका उच्चैन जिला भरतपुर।
07. प्रोग्रामर, निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
08. सुरक्षित पत्रावली।


(संजय माथुर)

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी